सहित कृषि एवं संबंधित सेक्टरों के लिये योजना परिव्यय 1992–93 और 1993–94 के दौरान क्रमशः 15360.85 करोड़ रुपये और 18855.69 करोड़ रुपये था।

बंधुआ बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए कानून/कार्यक्रम बनाना

*102. **श्री दिग्विजय सिंह :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधुआ/बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिये कोई कानून/कार्यक्रम बनाये हैं या बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें लागू करने के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या सरकार इनमें यह भी व्यवस्था करने का विचार रखती है कि उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति संस्था/कम्पनी को दंडित किया जाय और उनका पंजीकरण रद्द किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा :) (क) से (घ) सरकार ने बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया है और बंधित श्रम प्रथा को समाप्त कर दिया है, जिसमें वयस्क और बालक दोनों ही प्रकार के बंधुआ श्रमिक शामिल हैं। सरकार बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार को बराबर-बराबर (50:50) आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 1978–79 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को भी कार्यान्वित करती आ रही है।

इस अधिनियम में पूरे देश में बंधित श्रम प्रथा को समाप्त करने और इस प्रथा को कानून के अन्तर्गत दंडनीय संज्ञेय अपराध का प्रावधान किया गया है। इससे सभी बंधुआ मजदूरों के ऋण का समापन होने के साथ-साथ उन्हें एकपक्षीय रूप से दासता से मुक्त कर दिया है। सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा अत्यन्त तत्परता से कार्रवाई करने के साथ पहचान किये गये बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसकी प्रगति को गहनता से मानीटर किया जाता है। 3–3–93 की स्थिति के अनुसार पहचान किये गये तथा मुक्त कराये गये 2,51,424 मजदूरों में से केवल लगभग 6000 बंधुआ मजदूरों को अभी पुनर्वासित किया जाना है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार को 38.56 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। बंधुआ श्रमिकों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है तथा राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना को आठवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखा जा रहा है।

बंधित श्रम प्रथा के मामले में 3 वर्ष तक का कारावास और 2000 रु0 तक का जुर्माना किया जा सकता है। इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर संस्थाओं/कम्पनियों का पंजीकरण रद्द करने हेतु कोई प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Imposition of restrictions on imports by us Congress

*105. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government is aware of the move by the US congress to impose restrictions on the import of goods produced in the developing countries including India;

(b) if so, what are the implications so far as Indo-US trade is concerned